108

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी-6234/2018/शहडोल/भू.प्र.

प्रकरण कमांक /2018 पुनरीक्षण

1. मंगाली पुत्र श्री कल्लाराम यादव
2. सोमवती पत्नी स्व0 श्री रामकरन
3. सीताराम
4. रोहणी
5. कमलेश
6. राजाराम

   कमांक 3 लगायत 6 पुत्रगण स्व0 श्री रामबदन
7. श्रीमती गीताबाई पत्नी स्व0 श्री रामकृपाल
8. दीपक पुत्र स्व0 श्री रामकृपाल

   समस्त निवासीगण-ग्राम बहेरहा, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल, (म0प्र0)

—आवेदकगण

श्री आई. पी. द्विवेदी एड. द्वारा आज दि. 1-11-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-11-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-11-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0प्र0 शासन **—अनावेदक**

<u>पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 08/06/2018 पारित द्वारा अपर कमिश्नर शहडोल सम्भाग शहडोल के प्रकरण कमांक 12/अ-74/17-18 विविध व उनवान रामसजन यादव बनाम म0प्र0 शासन।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग 6234/2018/शहडोल/भू0रा0

मंगाली आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री आई0 पी0 व्दिवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर श्री विवेक भार्गव उपस्थित। दोनों अभिभाषकों को कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण क्रमांक 12/अ-74/2017-18 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08-6-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत दिनांक 01-11-2018 को प्रस्तुत की गई थी। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में हुये नवीन संशोधन दिनांक 25-09-2018 के पश्चात दायर की गई है। अत: उक्त संशोधन के पश्चात आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 12/3/19 सदस्य	